

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग ।

प्रेषक,

राजीव रंजन सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

श्री राजीव जैन
अवर सचिव, भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली ।

पटना, दिनांक 06- जनवरी, 2014

विषय :- नवरूणा अपहरण काण्ड से संबंधित मुजफ्फरपुर नगर थाना काण्ड सं0 507/2012 दिनांक 19.09.2012 की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि नवरूणा अपहरण काण्ड से संबंधित मुजफ्फरपुर नगर थाना काण्ड सं0 507/2012 दिनांक 19.09.2012 की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली से कराने हेतु विभागीय अधिसूचना सं0 6997, दिनांक 18.09.2013 निर्गत की गयी । उक्त आलोक में आपके पत्र सं0 228/75/2013-AVD II, दिनांक 05.12.2013 द्वारा जाँच करने से असमर्थता प्रकट की गयी है एवं बताया गया है कि इस केस का कोई अन्तर्राज्यीय विस्तार नहीं है तथा बिहार सरकार द्वारा सी0बी0आई0 के इच्छा के अनुरूप प्रतिनियुक्ति पर पदाधिकारी नहीं दिये जा रहे हैं ।

उल्लेखनीय है कि सी0बी0आई0 को राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अनेक अधिकारी दिये गये हैं । हाल ही में श्री सुजीत कुमार, भा0पु0से0, (2006) पुलिस अधीक्षक की सेवा भी उपलब्ध कराई गयी है । उक्त काण्ड का अबतक किये गये अनुसंधान से काण्ड का उद्भेदन नहीं हो पाया है और न ही अपहृत बच्ची बरामद हो पायी है, जिसके कारण उनका पूरा परिवार मानसिक यातना (Mental Trauma) का शिकार हो गया है । यह जाँच के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा कि इस अपहरण का कोई अन्तर्राज्यीय विस्तार है अथवा नहीं ।

काण्ड की जटिलता को देखते हुए पुनः अनुरोध है कि नवरूणा अपहरण काण्ड से संबंधित मुजफ्फरपुर नगर थाना काण्ड सं0 507/2012 की जाँच सी0बी0आई0 से कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन


6/1/14

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/सी0बी0आई0-80-03/2013 गृ0आ0.....४४...../पटना, 06- जनवरी, 2014
प्रतिलिपि :- निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली/पुलिस उप-महानिरीक्षक, सी0बी0आई0, डॉ0 श्री कृष्ण सिंह पथ, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


6/1/14

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/सी0बी0आई0-80-03/2013 गृ0आ0.....४४...../पटना, 06- जनवरी, 2014
प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


6/1/14

सरकार के अपर सचिव